**भारत सरकार**
**शिक्षा मंत्रालय**
**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 2600**
**उत्तर देने की तारीख-17/03/2025**

## आदर्श विद्यालय

**†2600. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के लिए आदर्श विद्यालय स्थापित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) आज की तिथि तक देश भर में स्थापित आदर्श विद्यालयों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;
(ग) शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आदर्श विद्यालयों के प्रमुख उद्देश्य और विशेषताएं क्या हैं;
(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं कि इन विद्यालयों में एनईपी, 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप प्रशिक्षित शिक्षकों और आवश्यक अवसंरचना के साथ पर्याप्त स्टाफ हो; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

## उत्तर

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री जयन्त चौधरी)**

**(क) से (ग):** केंद्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) जिसमें केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके पीएम श्री स्कूल स्थापित किए जाते हैं। इन स्कूलों का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करना और समय के साथ अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरना और पड़ोस के अन्य स्कूलों को भी नेतृत्व प्रदान करना है। वे एक न्यायसंगत, समावेशी और आनंदमय स्कूल वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करते हैं जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखता है और उन्हें एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ करके 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने का प्रावधान है, जिनमें से चयन प्रक्रिया के छठे चरण तक 12,505 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयन के छठे चरण तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविसं/एनसीईआरटी-वार चयनित स्कूलों की सूची अनुलग्नक-I में संलग्न है।

पीएम श्री योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. गुणवत्ता और नवाचार (शिक्षण संवर्द्धन कार्यक्रम, समग्र प्रगति कार्ड, नवीन शिक्षण पद्धतियां, बस्ता रहित दिवस, स्थानीय कारीगरों के साथ प्रशिक्षुतावृत्ति, क्षमता निर्माण आदि)।
2. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी उन्मुख हकदारी।
3. वार्षिक स्कूल अनुदान (समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय अनुदान, खेल अनुदान)
4. बालवाटिका और आधारभूत साक्षरता एवं संख्याज्ञान सहित प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं शिक्षा
5. समता और समावेशन जिसमें बालिकाओं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सुरक्षित और उचित बुनियादी ढांचे का प्रावधान शामिल है।
6. छात्रों को विषयों के चयन में छूट को प्रोत्साहित करना।
7. शिक्षकों और छात्रों के बीच भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकीय पहलों का उपयोग करते हुए शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा को प्रोत्साहित करना।
8. डिजिटल शिक्षणशास्त्र के उपयोग के लिए आईसीटी, स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय।
9. मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना।
10. व्यावसायिक कार्यकलाप और विशेष रूप से स्थानीय उद्योग के साथ प्रशिक्षुतावृति /उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाना। विकास परियोजनाओं/निकटवर्ती उद्योग के साथ कौशल की मैपिंग करना और तदनुसार पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या विकसित करना।

**(घ) और (ड):** पीएम श्री योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सभी पहलों को प्रदर्शित करती है, जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्कूलों में पर्याप्त स्टाफ और सुप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित करने पर बल दिए जाने का प्रावधान है। पीएम श्री स्कूलों में व्यक्तिगत और प्रभावी शिक्षण परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए एनईपी दिशानिर्देशों के (पीटीआर) छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार बनाए रखना आवश्यक है।

शिक्षक प्रशिक्षण को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाता है, जो निरंतर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम प्रदान करता है। प्रशिक्षण में आधुनिक शैक्षणिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें अनुभवात्मक और योग्यता-आधारित शिक्षण के साथ-साथ शिक्षण के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग भी शामिल है। शिक्षकों को नवीनतम और

सर्वोत्तम पर्यावरण प्रथाओं तथा विद्यार्थियों के बीच उन्हें प्रचारित करने के सबसे प्रभावी तरीकों से भी अवगत कराया जाता है।

पीएम-श्री स्कूलों को पेयजल आपूर्ति, फर्नीचर, कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला और प्रयोगशाला उपकरण जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कमियों की पहचान करके उनका समाधान किया गया है। इसके अलावा, पीएम-श्री स्कूलों में डिजिटल शिक्षाशास्त्र को आईसीटी और डिजिटल पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। इसमें प्री-लोडेड शैक्षिक सामग्री वाले टैबलेट के साथ-साथ डिजिटल लाइब्रेरी, क्लासरूम डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और शिक्षकों की सहायता करने और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं।

इसके अलावा, एलईडी प्रकाश व्यवस्था, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरूआत जैसे प्रयास पर्यावरण अनुकूल " ग्रीन स्कूल" बनाते हैं। इन सभी घटकों को वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों और उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन के बाद राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / केविसं / नविस द्वारा पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार लिया जाता है।

*****

**अनुलग्नक-I**

**'आदर्श विद्यालय' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2600 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।**

पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयन के छठे चरण तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केविसं/नविस-वार चयनित स्कूलों का ब्यौरा:

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल स्कूल |
|---|---|---|
| 1 | अंड्मान और निकोबार द्वीप समूह | 11 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 855 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 93 |
| 4 | असम | 382 |
| 5 | बिहार | 836 |
| 6 | चंडीगढ़ | 2 |
| 7 | छत्तीसगढ | 341 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 6 |
| 9 | दिल्ली | 6 |
| 10 | गोवा | 28 |
| 11 | गुजरात | 448 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 180 |
| 13 | हरियाणा | 250 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 396 |
| 15 | झारखंड | 345 |
| 16 | कर्नाटक | 585 |
| 17 | लद्दाख | 36 |
| 18 | लक्षद्वीप | 11 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 787 |
| 20 | महाराष्ट्र | 827 |
| 21 | मणिपुर | 105 |
| 22 | मेघालय | 63 |
| 23 | मिजोरम | 35 |
| 24 | नागालैंड | 49 |
| 25 | ओडिशा | 462 |
| 26 | पुदुचेरी | 12 |
| 27 | पंजाब | 347 |
| 28 | राजस्थान | 639 |
| 29 | सिक्किम | 43 |
| 30 | तेलंगाना | 794 |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | त्रिपुरा | 84 |
| 32 | उत्तराखंड | 226 |
| 33 | उत्तर प्रदेश | 1713 |
| 34 | केन्द्रीय विद्यालय | 884 |
| 35 | नविस | 620 |
| 36 | एनसीईआरटी | 4 |
| | कुल | 12505 |

*****